न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलालल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 33/2019

उनवान

1 गुमान सिंह पुत्र मदन पौत्र धन्ना जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लादू सिंह,
2. मान सिंह पुत्र मदन सिंह पौत्र धन्ना जाति रावत नि0 चाट सरदारपुरा, नसीराबाद,
3. उप पंजीयक नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज0 पैराकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

5. शंकर,
6. बीरम पि0 धन्ना,
7. ब्रहमा,
8. भागू,
9. नारायण,
10. सोहन पि. रासा,
11. बलदेव पुत्र लाडू जाति रावत नि. चाट सरदारपुरा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 5 से 11 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक :– 25.10.24

–: आदेश :–

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 1460, 738, 746, 769, 772, 822, 823, 825, 828, 830 रकबा कमशः 0.13, 0.08, 0.08, 0.13, 0.12, 0.16, 0.10, 0.17, 0.17, 0.14 की आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 से 10 व 11 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। उक्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा करवाये अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दी। उक्त आराजी अविभाजित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय का काई विधिक अधिकार नही था। उक्त विक्रय [illegible] कारण अप्रार्थी संख्या 1 भूमि को रहन रखने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 अजनबी केता है तथा बिना विभाजन संयुक्त कब्जे काश्त [illegible] भूमि पर [illegible] करने पर आमादा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] 3 [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा पारित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में जवाब पेश नही करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने आर.एल.डब्ल्यु 2007 (1) आरजे पेज 22 से 32 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की थी। जिस पर प्रत्येक का हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा में से अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दिया है। जिसकी पालना राजस्व अभिलेख में हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा में से अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा क्रय किया है उसके द्वारा भूमि का कोई विशिष्ट भू भाग क्रय नही किया है। नवीन क्रेता पूर्व खातेदार के पदचिन्हो पर आया है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा अविभाजित है। अतः भूमि के विभाजन नही होने तक अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे। किन्तु उनके द्वारा मूल वाद में विभाजन का अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से व्यथित है तो प्रार्थी को विभाजन का वाद पेश करना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 1 सदभाविक क्रेता है। विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में हो चुकी है। विधि का सुस्थापित सिंदान्त है कि अविभाजित आराजी में सहखातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड सह खातेदार है। भूमि के विभाजन का कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थी द्वारा भी विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती एवं प्रार्थी द्वारा उसके विक्रय पत्र को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। विक्रय पत्र की पालना राजस्व रेकार्ड में हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में उसके विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित नही होगा। रेकार्डेड खातेदार को पाबंद करने से अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का [illegible] जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति [illegible] पक्ष में है। तदनुसार सुविधा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का संतुलन भी बहक अप्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम चाट सरदारपुरा की आजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:04:12 IST
Reason: SelfAttested